REVIEW OF RESEARCH

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में सुरक्षा की नवीन अवधारणा

डॉ. जितेन्द्र कुमार

असिस्टेन्ट प्रोफेसर , रक्षा एवं स्त्रातजिक विभाग, दी.द.उ.गो.वि.वि, गोरखपुर।

ABSTRACT:

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में 'सुरक्षा' की अवधारणा का प्रयोग परम्परागत रूप से वाह्‌य सैन्य अतिक्रमणों से राज्य की स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा भूक्षेत्रीय अखण्डता की सुरक्षा अर्थात सैनिक सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है। इसके पीछे मुख्य तर्क यह था कि यदि राज्य सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली व सुरक्षित होगा तो उस राज्य के नागरिक भी सुरक्षित होंगे। सुरक्षा की इस परम्परागत अवधारणा के केन्द्र में 'राज्य' होता था। शीत युद्ध काल के दौरान सुरक्षा की यही अवधारणा नीति निर्माण व अकादमिक जगत में निर्देशक सिद्धान्त के रूप में प्रभुत्वशाली बनी रही। जबकि 21वीं शताब्दी में व्यक्ति की सुरक्षा हेतु गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, अशिक्षा, आर्थिक मंदी इत्यादि के रूप में अनेक गैर सैनिक खतरे व चुनौतियाँ मौजूद है। वर्तमान समय के इन गैर सैनिक खतरों का सामना करने के लिए नवीन गैर सैनिक साधनों की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य परम्परागत सैनिक सुरक्षा से लेकर मानव सुरक्षा तक के सैद्धान्तिक विकास को रेखांकित करना है तत्पश्चात् सुरक्षा की इस नवीन व व्यापक अवधारणा के संदर्भ में मूल्यांकन करना है।

KEYWORDS: राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव सुरक्षा, गैर सैनिक खतरे

भूमिका—

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के विभिन्न उपागमों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति के सम्बन्ध में गहरे मतभेद हैं। शक्ति संतुलन सिद्धान्त अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के यथार्थवादी उपागम का एक मौलिक सिद्धान्त है। यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारभूत ईकाई राज्य होते हैं जो परस्पर अंतःक्रिया करते हुए राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है क्योंकि इसमें ऐसे किसी भी सर्वोच्च, बाध्यकारी सत्ता का अभाव होता है जो राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सके। इस अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रत्येक राज्य अधिकतम शक्ति प्राप्त करने की होड़ में लगा रहता है क्योंकि अधिकतम शक्ति ही वह कारक है जिसके आधार पर कोई राज्य अपने हितों की सुरक्षा करने में समर्थ होता है। किसी राज्य द्वारा अधिकतम शक्ति प्राप्ति का प्रयास विरोधी राष्ट्र के सम्मुख असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न करता है। इस असुरक्षा से निपटने के लिए वह दूसरा राज्य भी अपने प्रतिद्वन्द्वी राज्य से अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि विरोधी राष्ट्र की शक्ति इतनी अधिक न हो जाए कि वह अपनी इच्छा किसी दूसरे राज्य पर थोप सके। अतः राज्य निरंतर एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करने का प्रयास करते रहते हैं। पूर्णतः अविश्वास के इस वातावरण में राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं राज्यों की ही होती है जिसके लिए वह किसी अन्य राज्य या संस्था पर निर्भर नहीं रह सकते हैं।

कालान्तर में राष्ट्र की अवधारणा ने न केवल विभिन्न अर्थ एवं रूप ग्रहण किये हुए है बल्कि इनकी सत्ता ने नवीन उपलब्धियों का सामना किया है हाल के वर्षों में व्यापार, उत्पादन और वित्त का वैश्वीकरण, संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में क्रान्ति, तकनीक एवं शस्त्रों के विस्तार तथा पर्यावरणीय एवं सतत् सामरिक संकट में ऐसी समस्याएँ खड़ी की है

जिसका समाधान राष्ट्र–राज्यों की संरचना के अन्तर्गत नही किया जा सकता। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संस्थाओं की खोज एवं विस्तार को अनिवार्य बनाता है जो कि राष्ट्रीय संप्रभुता के परम्परागत मूल्य को दुर्बल बना सकता है। भूमण्डलीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव अपने साथ उन विघटनकारी तत्वों को भी ला रहे है जो समाज को अधोपतन की ओर प्रवृत्त करते है और जो पुरानी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इकाइयों को विखण्डित कर सकते है। अधोगमन की यह प्रवृत्ति पश्चिम के आर्थिक रूप से उन्नतिशील राष्ट्र–राज्यों में अधिक दिखाई देती है तथा इनका उद्देश्य राष्ट्र–राज्यों की एक संस्था के रूप में उसकी सत्ता के साथ–साथ उसके महत्व एवं औचित्व को खतरा कम करना प्रतीत होता है।[1]

सुरक्षा की परम्परागत अवधारणा

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का यथार्थवादी सिद्धान्त पूरे शीत युद्ध के दौरान नीति निर्माण तथा अध्ययन क्षेत्र में प्रभुत्वशाली बना रहा जिसके अनुसार अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होता है। यथार्थवादी सिद्धान्त के प्रतिपादक मार्गेन्थू के अनुसार ''राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर एक व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य लेता है बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कोई व्यक्ति दूसरे के मान और विचारों को प्रभावित कर उससे अपना वांछित कार्य कराता है।''[2] सुरक्षा के इस परम्परागत अवधारणा के अंतर्गत सुरक्षा का संदर्भ राज्य होता है। राज्य की सुरक्षा हेतु बाह्य सैन्य आक्रमण सर्वप्रमुख चुनौती प्रस्तुत करता है। स्वाभाविक रूप से इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा को उस क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया जिसके आधार पर कोई राज्य मुख्यतः बाह्य आक्रमण से अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता एवं भूक्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा कर पाने में समर्थ होता है। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा व सैनिक सुरक्षा को एक दूसरे का पर्याय माना जाता था। इसके पीछे आधारभूत मान्यता यह थी कि यदि कोई राष्ट्र बाह्य सैन्य आक्रमण व हस्तक्षेप से सुरक्षित रहेगा तो वह राज्य तथा उसके नागरिक भी सुरक्षित होंगे।[3]

वाल्टर लिपमेन ने सुरक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है ''कोई राष्ट्र केवल उस सीमा तक सुरक्षित है जितनी दूर तक उसे यदि वह युद्ध से बचना चाहता है तो अपने आधारभूत मूल्यों को कुर्बान करने के लिए मजबूर होने का खतरा नही है और यदि उसे ललकारा जाये तो वह युद्ध में विजय द्वारा उन्हें कायम रखने में समर्थ हो।''[4] इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा को युद्ध में विजय प्राप्त कर पाने की क्षमता अर्थात् सैन्य क्षमता के रूप में देखा जाता था।

सुरक्षा की नवीन अवधारणा

सुरक्षा की यह परम्परागत अवधारणा पूरे शीत युद्ध के दौरान नीति निर्माण व सुरक्षा अध्ययनों में प्रभुत्वशाली बनी रही। 1970 व 1980 के दशकों में घटित कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों विशेषकर मध्यपूर्व तेल संकट, आर्थिक मंदी, पर्यावरण क्षरण आदि ने सुरक्षा साहित्य का ध्यान आकृष्ट किया परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल सैनिक दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा तथा कुछ गैर सैनिक खतरों (Non-Military Threats) विशेषकर आर्थिक व पर्यावरणीय सुरक्षा को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाने लगा। सुरक्षा की इस परम्परागत अवधारणा में आमूल–चूल परिवर्तन 1980 के दशक के अंतिम वर्षों व मुख्यतः शीत युद्ध के अंत के बाद देखने को मिला जब राज्यों के बीच होने वाले युद्धों में कमी तथा राज्यों के भीतर होने वाले संघर्षों में वृद्धि, नृजातीय संघर्ष, मानवीय संकट, मानवाधिकारों का व्यापक पैमाने पर हनन आदि घटनाओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा की परम्परागत अवधारणा की अपर्याप्तता को उजागर किया। इन सभी नवीन खतरों व असुरक्षाओं को परिभाषित करने तथा उनको चिन्हित कर पाने में राष्ट्रीय सुरक्षा की परम्परागत अवधारणा सर्वथा असफल सिद्ध हुई। फलस्वरूप इन नवीन असुरक्षाओं को शामिल करने हेतु सुरक्षा की अवधारणा का उर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों ही ढ़ंग से विस्तार हुआ। उर्ध्वाधर विस्तार (Vertical Expansion) का आशय है सुरक्षा के संदर्भ के रूप में राज्य के स्थान पर व्यक्ति को स्वीकार्यता मिली। क्षैतिज विस्तार (Horizontal Expansion) का आशय है सुरक्षा के लिए सैन्य खतरों के अतिरिक्त अनेक गैर सैन्य खतरों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, खतरों को भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा।

अतः वर्तमान विश्व में सुरक्षा की अवधारणा राज्य केन्द्रित न होकर समाज केन्द्रित होती जा रही है। ऐसे में निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि नये खतरे है। इसकी प्रकार सुरक्षा की धारणा गैर सैन्य कारणों से अधिक प्रभावित हो रही है। वर्ष 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी एवं वित्तीय अस्थिरता ने सुरक्षा की परम्परागत परिभाषा को ही बदल डाला। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय संकटों ने कई द्वितीय राष्ट्रों के अस्तित्व पर भी प्रश्नचिन्ह उपस्थित कर दिया है। वस्तुतः सुरक्षा के नये खतरों की पहचान करना ही दुष्कर कार्य होता जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मानवीय सुरक्षा की अवधारणा एक दूसरे से जुड़ती जा रही है।[5]

शीत युद्ध के पश्चात युगोस्लाविया, रवांडा, कार्फूर, श्रीलंका सहित अनेक उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि राज्य बाह्य सैन्य अतिक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रहे तो उसके नागरिक भी उसी अनुपात में सुरक्षित होंगे। गरीबी, आतंकवाद, नृजातीय संघर्ष, जलवायु परिवर्तन इत्यादि के रूप में अनेक ऐसे गैर सैनिक असुरक्षा व खतरे उपस्थित हैं जो नागरिकों की सुरक्षा हेतु सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। नवीन परिस्थितियों ने इस परम्परागत धारणा को भी गलत सिद्ध किया जिसके अंतर्गत व्यक्ति की सुरक्षा को राज्य सुरक्षा में ही निहित व निर्भर माना जाता था। अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ स्वयं राज्य ही अपने नागरिकों की सुरक्षा हेतु बड़ा खतरा बन चुके हैं जो राज्य के शक्तिशाली होने तथा व्यक्ति की सुरक्षा के बीच अंर्तद्वन्द्व को दर्शाता है। सुरक्षा की इस परम्परागत व संकीर्ण अवधारणा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मानव सुरक्षा (Human security) की नवीन अवधारणा का जन्म हुआ। मानव सुरक्षा की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम UNDP-(United Nations Development Programme) की मानव विकास रिपोर्ट 1994 (UNDP) Human Development Report 1994) में किया गया।[6] सुरक्षा की नवीन अवधारणा अथवा मानव सुरक्षा को परिभाषित करते हुए मानव सुरक्षा आयोग 2003 ने लिखा है, "मानव जीवन के आधारभूत मूल्यों की इस प्रकार सुरक्षा जिससे मानव स्वतंत्रता का विस्तार तथा उसके आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके"।[7] सुरक्षा की इस नवीन अवधारणा के अंतर्गत सुरक्षा के केन्द्र में राज्य के स्थान पर व्यक्ति होता है एवं सुरक्षा को व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाता है। अब राज्य को एकमात्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है बल्कि वह कई सुरक्षा प्रदाता संस्थाओं में से एक है। यू0एन0डी0पी0 ने मानव सुरक्षा के सात आयामों की चर्चा की है, जिसका वर्णन निम्नवत है–

1. आर्थिक सुरक्षा (Economic Security)

आर्थिक सुरक्षा से आशय है, सामान्यतः उत्पादक व पारिश्रमिक सम्बन्धी कार्यों के द्वारा निश्चित न्यूनतम आय सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य हेतु अंतिम उपाय के रूप में सार्वजनिक वित्त पोषित तंत्र का सहारा भी लिया जा सकता है। आर्थिक सुरक्षा अन्य सभी सुरक्षाओं व अधिकारों के मूल में होता है। न्यूनतम व निश्चित आय स्रोत के अभाव में अत्यधिक निर्धनता जन्म लेती है फलस्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा सीमित होता है। जिससे अवसरों की असमानता उत्पन्न होती है। वंचितता तथा अवसरों की असमानता ऐसे कारक हैं जिसके कारण मनुष्य अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। आर्थिक सुरक्षा हेतु सर्वप्रमुख खतरा बेरोजगारी प्रस्तुत करता है जो कि एक सार्वभौमिक समस्या है। उच्च बेरोजगारी दर की समस्या केवल व्यक्ति की सुरक्षा हेतु ही चुनौती नहीं प्रस्तुत करता है, बल्कि यह सामाजिक संघर्ष, हिंसा, आतंकवाद, नशाखोरी, अपराध, अवैध व्यापार आदि के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है। आर्थिक सुरक्षा हेतु खतरों को किसी एक राज्य के साथ नहीं जोड़ कर देखा जा सकता है क्योंकि भूमंडलीकरण के युग में एक राज्य के नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा दूसरे राज्य के नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा परस्पर निर्भर होते हैं।[8]

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कई बार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उच्च विकास दर तथा आर्थिक सुरक्षा में अनिवार्यतः समानुपातिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जो कि गलत है। उच्च आर्थिक विकास दर अनिवार्यतः आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे यह कदापि आवश्यक नहीं है क्योंकि उच्च आर्थिक विकास दर इस बात का कोई आश्वासन नहीं देता है कि वितरण में किसको क्या व कितना मिलेगा। यही कारण है कि आज भारत में जो कि विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा जिसने पिछले पन्द्रह वर्षों में उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने में सफलता अर्जित की है, आय की असमानता अपने उच्चतम स्तर पर है। 2014 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार एक प्रतिशत भारतीय राष्ट्रीय सम्पदा के 49 प्रतिशत भाग पर कब्जा किए हुए हैं तथा शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीय राष्ट्रीय सम्पदा के 74 प्रतिशत भाग पर

काबिज हैं। असमानता की यह चौड़ी खाई व्यक्ति की सुरक्षा को कई प्रकार से प्रभावित करता है। आर्थिक सुरक्षा हेतु यह अनिवार्य है कि व्यक्ति को अपनी जीविका के स्रोतों के निरंतरता का आश्वासन हो।[9]

2. पर्यावरणीय सुरक्षा (Environmental Security)

पर्यावरण शब्द (परि+आवरण) दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ है–चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है–घेरा। इस पृथ्वी के चारो ओर जो घेरा है उसे ही पर्यावरण के सभी तत्व एक दूसरे के पूरक है। इसमें किसी में भी अथवा सभी में आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तन पर्यावरण की संरचना को प्रभावित कर देता है। पर्यावरणीय सुरक्षा का अर्थ है मनुष्य को प्रकृति के प्रकोप से बचाना। मनुष्य ने विज्ञान व तकनीक में प्रगति के साथ–साथ पर्यावरण को भी उसी रफ्तार से प्रदूषित किया है। जिसका परिणाम वन क्षेत्रों के संकुचन, जैव विविधता क्षरण, भूक्षरण, जल प्रदूषण, समुद्र जलस्तर में वृद्धि, मौसम चक्र असंतुलन, बारम्बार प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। उपरोक्त सभी खतरें वैश्विक प्रकृति के हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन परम्परागत उत्तर–दक्षिण विभाजन से परे जाकर वैश्विक रूप से व्यक्ति की सुरक्षा हेतु चुनौती प्रस्तुत करता है। इंग्लैण्ड के अर्थशास्त्री थामस राबर्ट माल्थस ने 1798 में अपनी पुस्तक “An Essay on the Principle of Population” में लिखा है कि ''व्यक्तियों की आवश्यकता व खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता में असन्तुलन अकाल, बीमारी व युद्ध को जन्म देते हैं।''[10]

आधुनिक युग में हुए अनेक शोध माल्थस के इस सिद्धान्त को प्रमाणित कर रहे हैं। पर्यावरणीय क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन संघर्ष के प्रमुख स्रोत हैं। अधिकांश निर्धन राष्ट्रों में जहाँ उच्च शिशु मृत्यु दर के कारण तथा आय संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिकतम बच्चों की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों के अभाव पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव का मुख्य कारण होता है जो कि प्रायः संघर्ष व हिंसा में रूपांतरित हो जाता है।

दार्फूर (सूडान) का उदाहरण गरीबी, पर्यावरण क्षरण व संघर्ष के अंतःसम्बन्ध को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। वर्षा में कमी, एवं भूमि के मरूस्थलीकरण ने दार्फूर के परम्परागत अंतवर्गीय संघर्ष को और भी भड़काने का कार्य किया है। 1970 व 1980 के दशक में दार्फूर के उत्तरी भागों में पड़े सूखे ने खानाबदोश जनसंख्या को देश के दक्षिण की ओर प्रवास करने हेतु बाध्य किया जहाँ उनका स्थानीय जनजातियों के साथ संघर्ष हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्यावरण क्षरण व जलवायु परिवर्तन मानव सुरक्षा के साथ–साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु भी गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।[11]

3- स्वास्थ्य सुरक्षा (Health Security)

स्वास्थ्य सुरक्षा का आशय है बीमारियों, महामारियों तथा हानिप्रद जीवनशैली से न्यूनतम सुरक्षा का आश्वासन। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में करोड़ों लोगों की मृत्यु प्रत्येक वर्ष अनेक संक्रमित रोगों तथा अन्य बीमारियों के कारण होती है। दूषित जल, स्वच्छता का अभाव, कुपोषण इत्यादि अनेक बीमारियों की जड़ हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में भागदौड़ भरी जीवन शैली भी अनेक रोगों का कारण है। जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सकों, अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव में स्वास्थ्य सुरक्षा गंभीर संकट का सामना कर रहा है। 21वीं शताब्दी में जबकि विश्व ने अप्रत्याशित विकास किया है, प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु अभी भी बहुत अधिक है। इन मौतों को सुरक्षित व सस्ती परिवार नियोजन के माध्यम से, प्रसव की प्रक्रिया योग्य चिकित्सकों की देखरेख में कराकर रोका जा सकता है। विश्व इस समय कम से कम तीस नवीन सवंमित रोगों का सामना कर रहा है जैसे एवियन फ्लू, एच0आई0वी0, H_5N_1 एन्फ्लूएन्जा, हेपेटाइटिस सी, इबोला इत्यादि। प्रत्येक वर्ष पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 1 करोड़ बच्चे कुपोषण तथा अन्य रोगों के कारण काल के गाल में समा जाते हैं। 2015 में प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कुल 90 लाख व्यक्ति ट्यूबरक्यूलोसिस (T.B.) से, मलेरिया से 19.8 करोड़ व्यक्ति, जबकि 3 करोड़ 26 लाख लोग एच0आई0वी0 से पीड़ित हैं।[13] WTO ने कहा है कि बढ़ती व्यापारिक तनाव और महत्वपूर्ण बाजारों में ऋण बाजार में तंगी की स्थिति के चलते 2019 में व्यापार की वृद्धि सुस्त पड़ सकती है। संगठन ने कहा है कि–''व्यापार वृद्धि जारी रहेगी लेकिन पहले के अनुमानों से धीमी रहेगी। WTO का अनुमान है कि 2018 में

वस्तु व्यापार में 3.9 फीसदी की वृद्धि होगी जबकि 2019 में व्यापार का विस्तार 3.7 प्रतिशत की दर से होगी।''[14] सभी श्रमिकों को ऐसी स्थानों पर कार्य करने का अधिकार है जहाँ उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए जोखिम को ठीक ढ़ंग से नियन्त्रित किया जाता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा आपको काम पर चोट लगाने या कार्य के माध्यम से बीमार होने से रोकने के बारे में है।

6. खाद्य सुरक्षा (Food Security)

खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय भोजन की उपलब्धता एवं उसकी मात्रा से है। एक परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है कि उसके परिवार में कोई भुखा न हो और उसके लिए आकल का डर न रहे। खाद्य सुरक्षा की माप उसके भविष्य की बाधाएं या बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक अस्थिरता के समय भोजन की उपलब्धता प्राप्त करने से है। पहले खाद्य सुरक्षा से आशय भरपेट भोजन से समझा जाता था किन्तु आज खाद्य सुरक्षा से भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुंच के अलावा सन्तुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य रखरखाव तक जा पहुंचा है।

भारत की स्थिति का आंकलन करें तो यहा कई तरह की चुनौतियाँ सिर उठाती है जैसे–कुपोषण और भुखमरी एक समस्या है। जिसे समाप्त किये बिना देश व समाज का पूर्ण विकास नही हो सकता है। भारत में कुपोषण का जो दायरा रहा है। वह अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। भारत में 47% बच्चे कुपोषण के शिकार है। हर साल हजारों बच्चों की मौत कुपोषण के कारण हो जाती है। देश में भूखमरी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ''अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य संस्थान'' द्वारा जारी ''ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 ने विकास की ऊँची छलांगों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इंडैक्स के आधार पर भारत का विश्व में 103वाँ स्थान है।[15] देश में भूखमरी, अल्प पोषण व कुपोषण की भयावह तस्वीर उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या दस लाख से भी ज्यादा है। एसीएफ (ACF) की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुपोषण जितनी बड़ी समस्या है वैसा पूरे दक्षिण एशिया में और कहीं नही देखने को मिलती है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत में अनुसूचित जनजाति (28%), अनुसूचित जाति (21%), पिछड़ी जाति (20%) और ग्रामीण समुदाय (21%) पर कुपोषण का बहुत बड़ी समस्या है।[16]

7. मानव सुरक्षा (Human Security)

मानव सुरक्षा का आशय है विभिन्न प्रकार के भौतिक हिंसा से व्यक्ति की सुरक्षा। भौतिक हिंसा से सुरक्षा संभवतः सुरक्षा के किसी भी अन्य आयाम से अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने रोजमर्रा के जीवन में अनेक आकस्मिक व अप्रत्याशित खतरों से घिरा होता है। युद्ध, नृजातीय संघर्ष, राज्य द्वारा हिंसा, बलात्कार, लूट, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार इत्यादि मानव की सुरक्षा हेतु गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे विकास, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विश्व समुदाय कभी उत्तर–दक्षिण तो कभी विकसित व विकासशील खेमें में बंट जाता है। भौतिक हिंसा से व्यक्ति की सुरक्षा अथवा वैयक्तिक सुरक्षा एक ऐसी चुनौती है जिससे सभी समाजों, चाहे वह उत्तर के हो या दक्षिण के, चाहे वह विकसित हों या विकासशील, को समान रूप से सामना करना पड़ रहा है। उच्च बेरोजगारी दर, निर्धनता, अनेक सामाजिक बुराईयों जैसे अपराध, नशावृत्ति आदि को प्रोत्साहित करते हैं फलस्वरूप लूटपाट, हत्या, बलात्कार इत्यादि की घटनाओं में वृद्धि होती है।[17]

21वीं शताब्दी में विश्व के कई समाजों में आज भी बंधुआ मजदूरी, जमीदारी प्रथा गहरी जड़ जमाए हुए हैं। राज्यों के द्वारा अपनी सत्ता का दुरूपयोग की घटनाएं प्रायः सुनने व देखने को मिलती रहती हैं। राज्य के द्वारा व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का हनन, शोषण, भेदभाव समाज में अनेक दीर्घकालिक संघर्षों को जन्म देता है। अतः राज्य केवल सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही नहीं बल्कि कभी कभी असुरक्षा उत्पन्न करने वाले संस्था के रूप में भी स्वीकार किया जाने लगा है।

मानव सुरक्षा के उपरोक्त सभी आयामों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी अन्तर्निभरता। यदि मानव सुरक्षा कोई भी एक आयाम प्रभावित होता है तो यह अवश्य ही दूसरे अन्य आयामों को भी प्रभावित करेगा। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि सुरक्षा को केवल सैनिक

दृष्टि से देखना वर्तमान समय में केवल अपर्याप्त ही नहीं बल्कि अव्यवहारिक भी हो गया है। यदि राज्यों की सीमाओं के अंदर रहने वाले नागरिक असुरक्षित होंगे तो राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सुरक्षित नहीं रह सकता। नवीन अवधारणा के अंतर्गत सुरक्षा को सशस्त्रीकरण (Armament) की सहायता से नहीं बल्कि मानव विकास की सहायता से प्राप्त करना संभव है।

ऊर्जा सुरक्षा–

भारत में ऊर्जा सुरक्षा की परिभाषा को अंग्रेजी के तीन ए (3A) अर्थात–अवेलेबिलिटी, एक्सेस और अर्फोडेबिलिटी से व्यक्त किया जाता है। जिसका अर्थ है–उलब्धता, पहुंच और कम खर्च। इसमें से अन्तिम दो सीधे–सीधे उपलब्धता पर निर्भर है। इसी प्रकार यदि आगे बढ़े तो कहा जा सकता है कि ये चार सी (4C), पहला कोल (कोयला), दुसरा करंट एकाउण्ट डेफिसिट (चालू खाते के घाटे से है, चीन और चौथा क्लाइमेट (जलवायु) से है। ये 4C ही है जो न सिर्फ हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बल्कि भविष्य में वृद्धि के लिए भी खतरा बन गए है।[18]

नवीकरणीय ऊर्जा (अपरम्परागत) ऊर्जा का वह रूप है जो न तो प्रदूषण कारक है और न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरित प्रभाव पड़ता है। "वैश्विक स्तर पर स्वीकृत 17 सतत विकास लक्ष्यों में 7वें लक्ष्य के रूप में वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और सस्ती, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही UNO द्वारा '2014–2024' के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है।"[19]

पौधे के वे उत्पादन जो कि हजारों वर्षो से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, जीवाश्म ईधन कहलाते है। वे परम्परागत ऊर्जा के संसाधन है। जीवाश्म ईधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख साधन है। एक बार इसका उपयोग करने के पश्चात् दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे–वर्तमान में भारत एक विकासशील देश है। 1 मार्च 2019 को भारत की जनसंख्या 121 करोड है। जिसका भारतीय घरेलू उत्पाद (GDP) 7.5 है जो विश्व में नौवा और एशिया में चौथे स्थान पर है। जनसंख्या एवं आर्थिक विकास के कारण भारत की ऊर्जा खपत दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। आज ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अवयव बन चुका है। वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा खपत का परिदृश्य इस प्रकार है– 1. कोयला 40 % 2. बायोगैस 26% 3. कच्चा तेल 22% 4. प्राकृतिक गैस 8% 5. हाइडोपावर 2% 6. परमाणु ऊर्जा 1% 7. अक्षय ऊर्जा 1%। भारत में कोयला–बिजली, स्टील और सीमेन्ट जैसे बुनियादी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है भारत में बिजली उत्पादन लगभग 70% कोयले पर आधारित है। चीन, अमेरिका के बाद भारत तीसरा देश कोयला उत्पादन में बन गया है।[20]

समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है–

1. **ज्वारीय ऊर्जा** : समुद्रों में उत्पन्न ज्वार–भाटा के कारण प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते है।
2. **तरंग ऊर्जा** : महासागरों के पृष्ठ पर आर–पार बहने वाली प्रबल तरंगे उत्पन्न होती है इन विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए उन उत्पन्न तरंगों को टैग किया जाता है, जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है।
3. **महासागरीय ऊर्जा** : समुद्रों तथा महासागरों के पृष्ठ का ताप और गहराई के ताप में अन्तर से प्राप्त तापीय ऊर्जा के उपयोग से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इसके दोहन के लिए सागरीय तापीय ऊर्जा रूपान्तरण (OTEC) (Ocean Thermal Energy Coversion) विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है।[21]

अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत :

अक्षय ऊर्जा के अन्तर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा और पन बिजली सम्मिलित है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की कुल अनुमानित क्षमता 2018 तक 73,350 मेगावाट है तथा 2022 तक 1,75,000 मेगा वाट लक्ष्य रखा गया है। नवीकरण ऊर्जा में ने सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषणकारक नही है तथा जिनके स्रोत का क्षय नही होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है।[22]

भारत में परमाणु ऊर्जा :

भारतीय विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा एक निश्चित एवं निर्णायक भूमिका अदा करता है। किसी भी राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए विद्युत की पर्याप्त तथा अबाधित आपूर्ति का होना अति आवश्यक है। विकासशील देश होने के कारण भारत की सम्पूर्ण विद्युत आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग गैर पारम्परिक स्रोतों द्वारा बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर–प्रदेश व अन्य राज्यों में भी परमाणु बिजली केन्द्र है। जो केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत है। इस कार्यक्रम की सफलता हेतु निम्न संस्थाएं कार्यरत हैं[23]:–

1. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई
2. इंदिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम, तमिलनाडु
3. आधुनिक अनुसंधान केन्द्र, इंदौर, मध्य प्रदेश
4. परिवहन ऊर्जा साइक्लोटोन केन्द्र, कोलकाता
5. प्रमाण पदार्थ निदेशालय, हैदराबाद

न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अनुसार भारत में इस समय सात न्यूक्लियर पावर स्टेशनों में 22 परमाणु ऊर्जा उत्पादन रियेक्टर चल रहे है। जिसमें 2016–17 में कुल 31281 मेगावाट यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ। इस समय कुंडानकुलम (राजस्थान) तथा काकरापार परमाणु पावर प्रोजेक्ट के विस्तार कार्य प्रगति पर है। भारत में थर्मल, हाइड्रोपावर तथा अक्षय ऊर्जा उत्पादन के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन चौथे स्थान पर है। भारत अपने परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता को अगले 5 वर्ष में बढ़ाकर दुगना (100 मेगावाट) करने के लिए कार्यरत है।

भारत सरकार इस शताब्दी में भारतीय ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था हेतु पूरी तरह से सजग है। वर्ष 2000 में ही भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा हेतु ''हाइड्रोकार्बन विजन 2025'' प्रकाशित किया था। जिसमें विभिन्न प्रकार के योजनाओं तथा उपायों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इस विजन दस्तावेज ने भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को एक नयी दिशा एवं आयाम प्रदान किया है।[24]

प्राकृतिक गैस :

प्राकृतिक गैस (Natural Gas) कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मिथेन होती है तथा 0–20% तक अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन (जैसे इथेन) गैस होती है। प्राकृतिक गैस ईंधन का प्रमुख स्रोत है। यह अन्य जीवाश्म ईंधनों के साथ पायी जाती है। भारतीय ऊर्जा परिदृश्य में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकती है। प्राकृतिक गैस बहुत कम कीमत पर भारत के निकट के देशों–ईरान, तुर्कमेनिस्तान तथा म्यामांर में भारी मात्रा में उपलब्ध है।[25] ये देश भारत को लम्बे समय तक कम कीमत पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने हेतु तैयार है। लेकिन पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के वजह से अभी तक इसके लिए पाइप लाइन लगाने की योजना सम्बन्धी कार्य नहीं हो सका है। ईरान–पाक–भारत पाइप लाइन की लम्बाई 2736 किमी होगी जबकि तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान– भारत पाइपलाइन की लम्बाई 1690 किमी होगी। स्थलीय गैस पाइप लाइन को लगाना पाकिस्तान की वजह से असम्भव है।[26] इसका दूसरा उपाय यह है कि ओमान तथा ईरान से प्राकृतिक गैस समुद्र के अन्दर के पाइप लाइनों के द्वारा लाने की परियोजना पर कार्य किया जाय। इसे अब कार्यक्रम में बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत में 2022 तक प्राकृतिक गैस का बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनने की क्षमता है। अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की ऊर्जा की मांग में बड़ा इजाफा हो सकता है क्योंकि इसकी आबादी 2024 तक 1.4 अरब पहुंचने का अनुमान है और इस तरह वह दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जायेगा। रिपोर्ट कहती है कि भारत 2022 तक विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनने की क्षमता है।[27]

वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को केवल राज्यों के बीच होने वाले युद्धों से ही चुनौती नहीं मिल रही है बल्कि इसमें गैर सैनिक खतरे बहुत प्रभावी ढंग से चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। इन गैर सैनिक खतरों की जड़े राज्यों के भीतर पाए जाने वाले विषमता, वंचितता, अन्याय, शोषण इत्यादि में ढूंढा जा सकता है। दूसरे अर्थो में अब परम्परागत युद्धों का स्थान नवीनयुद्धों ने ले लिया है। नवीन युद्ध, परम्परागत युद्धों से कर्ता, लक्ष्य, तकनीक एवं वित्त पोषण के आधार पर भिन्न हैं। जहाँ परम्परागत

युद्ध राज्यों की नियमित सेनाओं के मध्य होता था, वहीं दूसरी ओर नवीन युद्धों के अंतर्गत अनेक गैर राज्य कर्ता (Non- State Actors) बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। मध्य एशिया में ISIS , अफगानिस्तान व पाकिस्तान में तालिबान, भारत में नक्सलवाद इस तथ्य के प्रमुख उदाहरण हैं।

21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानव तस्करी, नाभिकीय प्रसार इत्यादि प्रस्तुत कर रहें है। अतः वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा हेतु चुनौती राज्यों द्वारा कम बल्कि गैर राज्य कर्ताओं द्वारा अधिक मिल रही है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि राज्यों की सीमाओं के अंदर रहने वाले नागरिकों का विकास व सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए तो राज्य सुरक्षा के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की प्राप्ति भी संभव है।

गैर सैनिक खतरे (Non- Military Threats) किसी भी सैन्य शक्ति या शक्तिशाली राज्य के सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। द्वितीय, गैर सैनिक खतरे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। विश्व का कोई भी राज्य यह दावा नहीं कर सकता है कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, आर्थिक मंदी उसके लिए असुरक्षा या खतरा उत्पन्न नहीं करते हैं। परम्परागत सुरक्षा की अवधारणा के विपरीत, जिसमें यह माना जाता था कि एक राज्य की सुरक्षा दूसरे राज्य के लिए असुरक्षा होता है, उपरोक्त सभी गैर सैनिक खतरे सभी राज्यों व उनके नागरिकों की सुरक्षा को समान रूप से प्रभावित करते हैं। इनके सार्वभौमिक प्रभाव के कारण इनसे निपटने की जिम्मेदारी किसी एक राज्य की न होकर संपूर्ण विश्व समुदाय की है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। चौथा पूर्व शर्त है कि राज्य की सुरक्षा व व्यक्तियों की सुरक्षा के मध्य कोई अंतर्विरोध न हो परन्तु वास्तविकता तो यह है कि शक्ति संतुलन के सिद्धान्त में ही यह अंतर्विरोध निहित है जो अवसर मिलते ही प्रकट हो जाता है।

विश्व के अधिकांश निर्धन, विकासशील राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा भूक्षेत्रीय अखंडता (Territorial Integrity) की रक्षा हेतु अनेक संकटों से जूझ रहे है, इन संकटों से निपटने के लिए सैन्य शक्ति में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हैं। ये राष्ट्र अपने राष्ट्रीय व्यय का एक बड़ा हिस्सा सैन्य सुरक्षा की प्राप्ति हेतु असंतुलित ढंग से व्यय करते हैं फलस्वरूप विकास के अन्य मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। यह परिघटना राज्यों के समक्ष 'शस्त्र या भोजन की दुविधा' **(Guns Versus Butter Dilemma)** उत्पन्न करता है। असंतुलित ढंग से सैन्य सुरक्षा की प्राप्ति का प्रयास मानव सुरक्षा हेतु स्वयं कई दीर्घकालिक खतरों को जन्म देता है। इसके अतिरिक्त इस तथ्य के भी पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो यह दर्शाते हैं कि राज्य स्वयं कई बार अपने नागरिकों की सुरक्षा हेतु खतरा उत्पन्न कर देते हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, सीरिया इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

निष्कर्ष

भूमंडलीकरण के इस युग में जहां एक ओर मानव ने अपने सुख–सुविधा के अनेक साधनों की खोज करने में सफलता अर्जित की है वहीं दूसरी ओर उसी अनुपात में अनेक खतरों व असुरक्षाओं को भी जन्म दिया है। वर्तमान समय में उत्पन्न नित् नवीन प्रकार के गैर परम्परागत खतरों से निपटने के लिए परम्परागत साधनों की उपादेयता अत्यन्त ही सीमित हो जाती है। सुरक्षा की परम्परागत अवधारणा के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्ति के लिए सैन्य साधनों पर जोर दिया जाता था वहीं वर्तमान युग में मौजूद गैर सैनिक खतरों से निपटने के लिए मानव विकास की आवश्यकता को रेखाकिंत किया जाता है। नवीन परिस्थितियों में राज्य के अतिरिक्त गैर राज्यकर्ता भी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं अतः अब यह मान्यता कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य ही सर्वप्रमुख कर्ता होते हैं, भ्रमपूर्ण है। आधुनिक समय में विद्यमान खतरों व असुरक्षाओं को प्रतिद्वन्दिता के माध्यम से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही खत्म किया जा सकता है। अतः सुरक्षा की इस नवीन अवधारणा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सर्वोपरि है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आवश्यक है कि सभी राज्य समान रूप से इन असुरक्षाओं, खतरों को स्वीकारें जो कि एक दुष्कर कार्य रहा है। सुरक्षा की नवीन अवधारणा के संदर्भ में शक्ति संतुलन सिद्धान्त की प्रासंगिकता के सम्बन्ध में यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि शक्ति संतुलन सिद्धान्त एक ही साथ प्रासंगिक व अव्यवहारिक दोनों है।

LBP PUBLICATION

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक अवधारणा को किसी दायरे में कैद नही किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बदलते राजनीतिक एवं सामरिक आयाम के कारण सुरक्षा की अवधारणा समय–समय पर जटिल होती रही है। यही कारण है कि अरनाल्ड वुल्फर अपनी पुस्तक 'डिसकार्ड एण्ड कोलेबरेशन' में राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अवधारणा की सर्वमान्य, सर्वसम्मत व्याख्या और निरूपण सम्भव नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा भिन्न–भिन्न लोगों के लिए भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में भिन्न–भिन्न होती है।

सन्दर्भ

1. https://hi.m.wikipedia.org/wiki/यथार्थवाद–(अन्तर्राष्ट्रीय–सम्बन्ध)
2. बिस्वाल, डॉ तपन्, ''अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मुक्त शिक्षा निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, यूनिट–I, पेज–2.
3. www.jankritipatrika.in/read.php?artID=323
4. सिंह अशोक कुमार, ''राष्ट्रीय सुरक्षा के बदलते आयाम'', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2014, पेज–15, ISBN-978-93-02-778-40-0.
5. https:/defencestudies.in/सुरक्षा की आवश्कता कहाँ/
6. UNDP, Human Development Report 1994; Oxford University Press, New York.
7. पूर्णमल, जैन राशि, 'मानवाधिकार सामाजिक न्याय और भारत का संविधान', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2003 पेज–48 |
8. Duffied; M., "Development, Security and Unending War: Governing The World of People, Polity Press, 2007, U.K.
9. http://www.who.int.
10. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thomas-Robert_matthus.
11. world health organization, world health statistics, Geneva 2015, available online at http://www.who.in
12. world health organization (2015), Geneva:WHO available online.
13. https://hi.m.wikipedia,org/wiki/भारत_में_कुपोषण/
14.
15. https://www.google.com/amp/s/navbharattime.
16. Tadjbakhsh, and Chenoy, A., Human Security: Concepts and Implications, London, 2007.
17. https://M.aajtak.in/Indi-today-hindi/mehmaan_ka_panna/story/abc_of_energy_security-785199-2014-10-27.
18. पाण्डेय, सतीश चन्द, भारत की अपरम्परागत सुरक्षा चुनौतियाँ और विकल्प, द्वारा हरिशरण, 'ऊर्जा सुरक्षा : चुनौतिया एवं विकल्प', नीलकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2018ए पेज–13, ISBN : 81-88962-77-5.
19. "Coal Reserves", Ministry of Coal, April, 1, 2014
20. https://mnre.gov.in/hi/महासागर ऊर्जा
21. www.bbc.com/hindi/specials/856-अक्षय ऊर्जा के स्रोज/
22. https://hindi.examsdaily.in/sudy-materials/list of nuclear powaer stations in India.
23. India hydro carbon vision-2025, ministry of petroleum and natural gas.
24. https://hi.m.wikipedia.org/wiki/प्राकृतिक–गैस/

25. वार्षिक रिपोर्ट 2010–11, अध्याय–6, पेज 21–24, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली।

26. www.google.com/amp/s/navbharattimes.indiatimes.com/naturalgas.2022.

डॉ. जितेन्द्र कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर , रक्षा एवं स्त्रातजिक विभाग, दी.द.उ.गो.वि.वि, गोरखपुर।

LBP PUBLICATION